

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2025—श्रावण 6, शक 1947

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2025

आदेश

क्र.—एफ 6-5-0012-2025-अटारह-3.—श्रीमती मनीषा अजय शर्मा, अध्यक्ष, नगर परिषद् कैमोर, जिला कटनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपने पद से दिनांक 4 जून 2025 को त्याग-पत्र दिया गया है. त्याग-पत्र की वास्तविकता के बारे में राज्य शासन का समाधान हो गया है.

अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के तहत श्रीमती मनीषा अजय शर्मा, अध्यक्ष, नगर परिषद् कैमोर, जिला कटनी का त्याग-पत्र स्वीकार करता है तथा नगर परिषद् कैमोर, जिला कटनी के अध्यक्ष का पद रिक्त घोषित करता है.

क्र.—एफ 6-5-0013-2025-अटारह-3.—श्रीमती वसुधा मनीष मिश्रा, अध्यक्ष, नगर परिषद् विजयराघवगढ़, जिला कटनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपने पद से दिनांक 4 जून 2025 को त्याग-पत्र दिया गया है. त्याग-पत्र की वास्तविकता के बारे में राज्य शासन का समाधान हो गया है.

अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के तहत श्रीमती वसुधा मनीष मिश्रा, अध्यक्ष, नगर परिषद् विजयराघवगढ़, जिला कटनी का त्याग-पत्र स्वीकार करता है तथा नगर परिषद् विजयराघवगढ़, जिला कटनी के अध्यक्ष का पद रिक्त घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.